न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 161/2018

अनवान :

1. राजेश कुमार
2. कमल सिंह

} पुत्रान रामकुमार जाति जाट माली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. शकुन्तला
3. इन्द्रावती
4. पार्वती

} पुत्रियां रामकुमार जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतबीर पूनियां : वादीगण

निर्णय — दिनांक : 27.02.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 9/300 के मु0नं0 200 के किला नं0 10 ता 12, 19 ता 22 की 1.771 है0 नहरी खातेदारी मय रास्ता की जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का अमरसिंह के साथ 1/3 हिस्सा, खाता सं0 236/235 के मु0नं0 150 किला नं0 11, 20, 21, 22/2 मु0नं0 151 के किला नं0 14, 15, 16, 17/2 की कुल 1.771 है0 मय रास्ता एवं खाला जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 70 हिस्सा, खाता सं0 293/243 के मु0नं0 179 के किला न0 6 ता 25, मु0नं0 180 के किला नं0 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21/1 मु0नं0 182 के किला नं0 1/1, मु0नं0 183 के किला नं0 1 ता 5 की कुल 7.463 है0 नहरी बारानी मय रास्ता जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 127–1/9 हिस्सा खाता संख्या 294/241 के मु0नं0 122 के किला नं0 9 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 123 के किला नं0 6, 15, मु0नं0 132 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 133 के किला नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0नं0 146 के किला नं0 1, 2, 9, 10 मु0नं0 147 के किला नं0 3, 4, 5 की कुल 9.286 है0 नहरी बारानी मय रास्ता एवं खाला के स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 124–2/3 हिस्सा, खाता सं0 264/266 [illegible] 167 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 178 के किला नं0 3 ता 8 [illegible] 179 के किला नं0 1, मु0नं0 200, किला नं0 [illegible] कुल 5.060 है0 [illegible] खातेदारी कृषि भूमि [illegible] है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 20 हिस्सा भूमि द[illegible] तथा चक जोगीवाला [illegible] की

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं0 100/93 के मु0नं0 99 के किला नं0 17 ता 24, मु0नं0 110 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 की कुल 4.048 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र एवं पुत्रियां है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 सभी का प्रतिवादी सं0 1 के साथ सम भाग है। वादभूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादी सं0 1 को वादीगण के दादा पूर्ण से विरासतन प्राप्त हुई है तथा कुछ भूमि प्रतिवादी सं0 1 व वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 सभी ने संयुक्त रूप से रहते हुए वादीगण के दादा के समय खरीद की हुई है। उक्त भूमि संयुक्त सरमाये से पैदा की हुई होने के कारण वाद भूमि में सभी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना वाद भूमि में से जो भी हक व हिस्सा बनता था, वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा अब उनका वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने इकबालदावे पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजेश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 9/300 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 236/235 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 264/266 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जोगीवाला बारानी के खाता सं0 100/93 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम जोगीवाला बारानी सम्वत् 2045 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2034 प्रदर्श 6, 7, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2047 प्रदर्श 8, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2047 प्रदर्श 9, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2034 प्रदर्श 10, जमाबन्दी खतौनी चक 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2034 प्रदर्श 11, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 12 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि [illegible] संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है वाद भूमि में वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] का प्रतिवादी सं0 1 के साथ सम भाग है। इस प्रकार वाद [illegible] जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने 11 जेजीडब्ल्यु व जोगीवाला बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम जोगीवाला बारानी सम्वत् 2045 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2034 प्रदर्श 6, 7, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2047 प्रदर्श 8, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2047 प्रदर्श 9, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2034 प्रदर्श 10, जमाबन्दी खतौनी चक 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2034 प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये है जिनमें जोगीवाला बारानी के खाता सं0 100/93 के मु0नं0 99, 110 चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 9/300 के मु0नं0 200, खाता सं0 293/243 के मु0नं0 179, 180, 182, 183, खाता सं0 294/241 के मु0नं0 122, 123, 132, 133, 146, 147 में दर्ज कृषि भूमि वादीगण के दादा पुरण वल्द भज्जु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार उपर वर्णित कृषि भूमि ही वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। इसके अलावा अन्य कृषि भूमि बाबत वादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित हो सके तथा सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 12 में रामकुमार के वारिसान में पत्नी बादो देवी, दो पुत्र राजेश कुमार व कमल सिंह एवं तीन पुत्रियां शकुन्तला, इन्द्रावती, पार्वती होना अंकित है। प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है जिसे उन्होने अपने इकबालदावों में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादीगण आंशिक तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के **खाता सं0 9/300** के मु0नं0 200 के किला नं0 10 ता 12, 19 ता 22 की 1.771 है0 नहरी खातेदारी मय रास्ता की जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का अमरसिह के साथ 1/3 हिस्सा, **खाता सं0 293/243** के मु0नं0 179 के किला नं0 6 ता 25, मु0नं0 180 के किला नं0 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21/1 मु0नं0 182 के किला नं0 1/1, मु0नं0 183 के किला नं0 1 ता 5 की कुल 7.463 है0 नहरी बारानी मय रास्ता जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 127–1/9 हिस्सा **खाता संख्या 294/241** के मु0नं0 122 के किला नं0 9 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 123 के किला नं0 6, 15, मु0नं0 [illegible] ता 25 मु0नं0 133 के किला नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0नं0 [illegible] किला नं0 1, 2, 9, 10 मु0नं0 147 के किला नं0 3, 4, 5 [illegible] रास्ता एवं खाला के स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 की 124–2/3 हिस्सा तथा चक जोगीवाला बारानी के खाता सं0 100/93 के मु0नं0 99 के किला नं0 17 ता 24, मु0नं0 110 के किला नं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

ता 4, 7 ता 10 की कुल 4.048 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। दावा में वर्णित शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-8-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 161/2018

अनवान :

1. राजेश कुमार
2. कमल सिंह

} पुत्रान रामकुमार जाति जाट माली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

\- वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. शकून्तला
3. इन्द्रावती
4. पार्वती

} पुत्रियां रामकुमार जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

\- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के **खाता सं0 9/300** के मु0नं0 200 के किला नं0 10 ता 12, 19 ता 22 की 1.771 है0 नहरी खातेदारी मय रास्ता की जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का अमरसिह के साथ 1/3 हिस्सा, **खाता सं0 293/243** के मु0नं0 179 के किला नं0 6 ता 25, मु0नं0 180 के किला नं0 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21/1 मु0नं0 182 के किला नं0 1/1, मु0नं0 183 के किला नं0 1 ता 5 की कुल 7.463 है0 नहरी बारानी मय रास्ता जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 127–1/9 हिस्सा **खाता संख्या 294/241** के मु0नं0 122 के किला नं0 9 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 123 के किला नं0 6, 15, मु0नं0 132 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 133 के किला नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0नं0 146 के किला नं0 1, 2, 9, 10 मु0नं0 147 के किला नं0 3, 4, 5 की कुल 9.286 है0 नहरी बारानी मय रास्ता एवं खाला के स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 124–2/3 हिस्सा तथा **चक जोगीवाला बारानी के खाता सं0 100/93** के मु0नं0 99 के किला नं0 17 ता 24, मु0नं0 110 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 की कुल 4.048 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.2.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner